हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

1 प्रार्थना पत्र पुकार
अधिवक्ता / वादी / प्रतिवादी / उभयपक्ष / उप अनुपस्थित
अधिवक्ता प्रार्थी अप्रार्थी / उभयपक्ष / उप अनुपस्थित
पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र
आगामी पेशी दिनांक 10-10-19 को पेश हो

10-10-19 बार संघ का कार्य स्थगन प्रस्ताव / हड़ताल के कारण अधिवक्तागण उपस्थित नहीं। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 16-12-19 को पेश हो।

16-10-19 प्रतिवादी संख्या एक के वकील द्वारा प्रार्थना पत्र ~~xx~~ प्रस्तुत कर पत्रावली में छोटी पेशी हेतु निवेदन किया प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया जाकर वकील वादी को सुनित किया जाकर पत्रावली में पेशी दिनांक 5-11-19 निर्धारित की जाती है पत्रावली दिनांक 5-11-19 को पेश हो।

5-11-19 बार संघ का कार्य स्थगन प्रस्ताव / हड़ताल के कारण अधिवक्तागण उपस्थित नहीं। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 2-12-19 को पेश हो।

2-12-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित वकील प्रतिवादी संख्या एक द्वारा फार्म नं. 6 के साथ दस्तावेज पेश किया शामिल पत्रावली किये गये प्रार्थना-पत्र-O-7-R-11 CPC पर बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र दिनांक 16-12-19 को पेश हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official
Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... जो इस ...
18.12.2019	उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी एक के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 26.06.2019 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वादी ने अपने वादपत्र की चरण संख्या 5 में कथन किया है, "तब पुलिस द्वारा किये गये अनुसंधान में वादी को ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अभिकथित रूप से अपने आपको टिकूराम का खोलायत पुत्र बताते हुए टिकूराम के नाम से दर्ज कृषि भूमि छिपे तौर पर अपने नाम दर्ज करवा ली। वादी ने उक्त गोदनामा दिनांक 17.01.1968 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की तो वादी को यह भी ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त गोदनामा फर्जी रूप से तैयार किया है। वादी के दादा हजारीराम व दादी तुलसीदेवी ने कभी भी शीशपाल को टिकूराम के गोद नहीं दिया व ना ही टिकूराम ने शीशपाल को गोद लिया। शीशपाल कभी भी टिकूराम के गोद नहीं गया। टिकूराम की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी .... (इसी पैरा में आगे लिखा है) कानूनन 15 वर्ष की आयु से अधिक आयु का व्यक्ति गोद नहीं लिया जा सकता। अभिकथित गोदनामा में प्रतिवादी संख्या 1 की आयु 19 वर्ष की आयु में गोद लेने के कथन है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अभिकथित गोदनामा शून्य दस्तावेज है ऐसे शून्य दस्तावेज से प्रतिवादी संख्या 1 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते।"	

वादी ने उक्त कथन अपने वाद में करने के बावजूद भी वाद का अनुतोष यह चाहा है, कि "घोषणा इस आशय की जारी फरमाई जावे कि चक नम्बर 21 एन.डी.आर. के पत्थर नम्बर 126/348 किला नम्बर 22 ता 25, पत्थर नम्बर 126/349 किला नम्बर 1 ता 15, कुल 19 बीघा कृषि भूमि व चक नम्बर 30 एन.डी.आर. के पत्थर नम्बर 105/345 किला नम्बर 16 ता 18 कुल तादादी 22 बीघा भूमि के वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 13 कुल 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 14 कुल 1/3 के खातेदार है तथा इसी कदर राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने के अधिकारी है।"

स्वयं वादी यह स्वीकार करता है कि प्रतिवादी संख्या 1 नें गोदनामा पंजीकृत करवा लिया जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर वादी को फर्जी रूप से तैयार किये जाने का ज्ञात हुआ और उसी दस्तावेज के विषय में कथन करता है कि अभिकथित दस्तावेज शून्य दस्तावेज है और प्रतिवादी संख्या 1 को कोई अधिकार नहीं प्राप्त होते। दूसरी ओर इस दस्तावेज के संबंध में वादी स्वर्गीय टिकराम की कृषि भूमि जो उसे राज्य सरकार द्वारा आंवटित की गई थी और उसकी स्वयं पैदा करदा थी, की निसबत घोषणा चाहा रहा है। दस्तावेज रजिस्टर्ड और लगभग 51 वर्ष पूर्व का है, जो आज भी अस्तित्व में है और जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उसे लगभग 23–24 वर्ष पूर्व कुलहम कृषि भूमि का इन्तकाल भी दर्ज कागजात पटवार माल हो चुका है जो स्वयं वादी द्वारा पेश करदा जमाबन्दी से स्पष्ट है। जब तक वादी पंजीकृत दस्तावेज को सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवा देता, वादी का मौजूदा वाद चलने योग्य नहीं है। वादी ने अपने मौजूदा वाद में भी रजिस्टर्ड दस्तावेज खोलानामा की बाबत कोई अनुतोष नहीं चाहा है। इन परिस्थितियों में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध कोई वाद हेतुक प्राप्त नहीं होता और ना ही वाद चलने योग्य है ऐसे वाद आदेश 7 नियम 11 के अनुसरण में बार्ड बाई लॉ की श्रेणी में आते है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद वादी बार्ड बाई लॉ होने के कारण निरस्त फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में वादी के अधिवक्ता द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया ... प्रतिवादी संख्या 1 कतई गलत व ... योग्य है। प्रतिवादी संख्या ...

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डअधिकारी हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद संख्या 271/2019 अन्तराम प्रोकमराम बनाम शीशपाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील से जारी हुए

.........लगातार

शून्य दस्तावेज है। ऐसे शून्य दस्तावेज से प्रतिवादी संख्या 1 को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। वास्तव से ही शून्य दस्तावेज को निरस्त करवाने की आवश्यकता नही है। वादी ने अपने वाद पत्र मे जमीन की खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा है जो केवल राजस्व न्यायालय द्वारा ही दिया जा सकता है। वादी के वाद पत्र के अभिवचनो के मुताबिक वाद हेतुक प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 ने यह स्पष्ट नही किया है कि वाद पत्र किस प्रकार से बार्ड बाई लो है। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त प्रकरण को देरीना करने की गर्ज से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 1 विशेष हर्जाना सहित खारिज करमाया जावे।

प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ मे गत पेशी पर बहस सुनी गई दौराने बहस प्रतिवादी संख्या 1 के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टान्त RBJ (25) 2018 Paje 718 &376 पेश कर अपने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए कथन किया कि दिकुराम द्वारा शीशपाल को गोद लिया गया है, गोदनामा पंजीकृत है जिसको वादी द्वारा सिविल न्यायालय मे चुनौती दी जा चुकी है जो माननीय सिविल न्यायालय मे विचाराधीन है, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मे चाहा गया अनुतोष गोदनामा सही है अथवा गलत है के आधार पर ही तैय होना है, जो माननीय सिविल न्यायालय मे विचाराधीन होने के कारण वादी राजस्व न्यायालय से विवादीत आराजी के सन्दर्भ मे कोई अनुतोष नही प्राप्त कर सकता है। अतः वाद वादी भारी खर्चे के साथ खारिज फरमाया जावे।

वादी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टान्त Hindu Adoptions And Maintenance Act 1956 Section 9 (2) & 10 (4), DNJ 2009 (2) Paje 720, RRD 1978 Paje 256, RRD 2000Paje 332, RRT 2014 (1) Paje 101, RRD 2008 Paje 423, RRD 2012 Paje 139, RRD 1989 Paje 538, RRD 201, Paje 842 पेश कर अपने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए कथन किया कि दिकुराम ने शीशपाल को गोद नही लिया है, गोदनामा के समय शीशपाल की उम्र अधिक होने के कारण भी पंजीकृत गोदनामा विधि विरूद्ध होने से वादी के अधिकारों पर पंजीयन के समय से ही प्रभावहीन है, वादी द्वारा अपनें खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया जो दौरान न्यायालय के क्षैत्राधिकार का होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. लागु नही होने से खारिज होने योग्य है।

माननीय सिविल न्यायालय में गोदनामा को निरस्त करवाने का वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसका इस वाद पत्र से कोई सम्बध नही होने से प्रतिवादी द्वारा मात्र वाद को लम्बा करनें के उदेश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो निरस्त योग्य होनें से भारी खर्चे के साथ खारिज फरमाया जावे।

सुयोग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि वादी द्वारा यह तथ्य स्वीकार किया है, कि सिविल न्यायालय में जो वाद पेश किया है, वह गोदनामा को निरस्त करने का है। चुकि वादी द्वारा अपने वाद पत्र मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि जो गोदनामा के आधार पर दर्ज है में से खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है, वाद का मुख्य आधार गोदानामा है, जिसको सिविल न्यायालय में चुनौती देनें के कारण प्रकरण वर्तमान मे सिविल न्यायालय मे विचाराधीन होनें से माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही सम्भव है, अतः वादी द्वारा विवादित आराजी के सन्दर्भ मे दो न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने पर तथा सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन होने से इस न्यायालय में प्रस्तुत वाद पत्र मे कोई कार्यवाही, की जानी न्यायोचित नही है।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

लगातार ....

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

.... लगातार

अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाना न्यायोचित है, परन्तु वादी के हितो को मध्य नज़र रखते हुए धारा 10 सी.पी.सी. के तहत वादपत्र मे वर्तमान स्तर पर कार्यवाही स्थगित की जाकर पत्रावली को दाखिल दफ्तर किया जाता है।

माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय के उपरान्त यदि इस न्यायालय से उक्त वाद पत्र में वादी के पक्ष में कोई अनुतोष बनता हो तो वादी उक्त वाद पत्र में पुनः कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र है।

निर्णय आज दिनाक 16.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.01.06 13:48:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: